फाइल नं0-71-3002(002)/2/2024-03

21/2024/I/495418/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर, बिजनौर, लखीमापुर खीरी तथा सुल्तानपुर में विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (भवन),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-09/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 29.12.2023, पत्र संख्या-06/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 29.12.2023, 08/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 29.12.2023 तथा 07/वाह्य0वि0संयो0/2023, दिनांक 29.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है फेज-3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर में विद्युत संयोजन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति (निम्नांकित तालिका के कॉलम-3 के अनुसार) तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-4 के अनुसार) में से प्रथम किश्त की धनराशि (निम्नांकित तालिका के कॉलम-6 के अनुसार) निम्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज नाम	विद्युत संयोजन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	मेडिकल कालेज, कुशीनगर	312.61	1125.80	4210-03-105-8910	312.61
2.	मेडिकल कालेज, बिजनौर	559.65	1243.83	4210-03-105-8909	279.82
3.	मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	200.03	1314.35	4210-03-105-8914	200.03
4.	मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर	518.76	1190.83	4210-03-105-8911	259.38

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. फेज-3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेज, यथा कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि को समर्पित कर दिया जाये।
2. सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं आडिट कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/चिकित्सा संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्यो/कार्यदायी संस्था की होगी।
8. संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9. संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 4210031058909 (मेडिकल कालेज, बिजनौर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058909 मेडिकल कालेज, बिजनौर	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,79,82,000 (रुपये दो करोड़ उनासी लाख बयासी हजार मात्र)
	कुल			**2,79,82,000 (रुपये दो करोड़ उनासी लाख बयासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058910 (मेडिकल कालेज, कुशीनगर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	4210031058910 मेडिकल कालेज, कुशीनगर	24 वृहत् निर्माण कार्य	3,12,61,000 (रुपये तीन करोड़ बारह लाख इकसठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**3,12,61,000** **(रुपये तीन करोड़ बारह लाख इकसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058911 (मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058911 मेडिकल कालेज, सुल्तानपुर	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,59,38,000 (रुपये दो करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार मात्र)
	कुल			**2,59,38,000** **(रुपये दो करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058914 (मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058914 मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी	24 वृहत् निर्माण कार्य	2,00,03,000 (रुपये दो करोड़ तीन हजार मात्र)
	कुल			**2,00,03,000** **(रुपये दो करोड़ तीन हजार मात्र)**

महायोग	10,51,84,000 (रुपये दस करोड़ इक्यावन लाख चौरासी हजार मात्र)

नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-337/दस-2023-24, दिनांक 13 फरवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्याः-उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर।
12. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. कोषाधिकारी, कुशीनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।